कार्यालय : चास नगर निगम, चास (बोकारो)।

आई0टी0आई0 मोड़, NH-32, चास, बोकारो, पिन– 827013

E-mail:- chasmunicipalcouncil@gmail.com

पत्रांक : ....,   दिनांक : ....

इच्छा की अभिव्यक्ति

EOI-UDD/CMC/EOI-13/2025-26

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रीय योजनान्तर्गत Smile (Support for Marginalized Individuals for livelihood and Enterprises) योजना (Beggary) के क्रियान्वयन हेतु चास नगर निगम में भिक्षुकों का सर्वेक्षण/पहचान, संग्रहण, सुरक्षा एवं पुर्नवास गृहों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–05/म0स0/Smile-186/2024-2898, दिनांक–18.09.2025 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–EIS-11016/5/2024-EIS Part(2)(e-96782) Dated-15-09-2025 के आलोक में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा चयनित गैर सरकारी संस्था का दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

इच्छुक स्वयंसेवी संस्थान का प्रस्ताव मार्ग निर्देशिका–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक– EIS-11016/5/2024-EIS Part(2)(e-96782) Dated-15--09-2025 के आलोक में तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में चास नगर निगम कार्यालय में दिनांक–27.01.2026 को 01:00 बजे अप0 तक समर्पित किया जाना है तथा उसी दिन अपराह्न–03.00 बजे अप0 में नगर निगम स्तरीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव खोला जायेगा, जिसमें स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

नोटः–योजना का विस्तृत जानकारी के लिए Municipal Portal-chasmunicipalcorporation.com पर उपलब्ध है, अथवा कार्यालय, चास नगर निगम, चास में किसी भी कार्य दिवस पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासक–सह–
अपर नगर आयुक्त,
चास नगर निगम, चास।

ज्ञापांक : ...., दिनांक : ....

प्रतिलिपि : – नगर मिशन प्रबंधक, चास नगर निगम, चास को सूचनार्थ एवं उक्त सूचना का प्रकाशन चास नगर निगम के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : – जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

प्रशासक–सह–
अपर नगर आयुक्त,
चास नगर निगम, चास।

Scanned with OKEN Scanner

स्वयंसेवी/गैर स्वयंसेवी/अन्य संस्थाओं से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय हेतु मार्गनिर्देश

स्वयंसेवी/गैर स्वयंसेवी/अन्य संस्थाओं को अनुदान हेतु पात्रता/अर्हता

योजना का परिचय

Smile (Support for Marginalized Individuals for livelihood and Enterprises) योजना (Beggary) योजना का संचालन प्रारम्भ में तीर्थ/धार्मिक स्थली, हाट/बाजार, ऐतिहासिक स्थानों, पर्यटन स्थलों में भिक्षुकों का सर्वेक्षण/पहचान, संग्रहण, सुरक्षा एवं पुनर्वास गृहों के संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन निम्न वर्णित तथ्यों के आलोक में चयन किया जायेगा।

(क) संस्था का चयन हेतु पात्रता–Strenghth of the organisation (60% Weightage)

1. चयनित संस्था का दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना एवं प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्था में कार्यरत कर्मियों के नाम, पता, फोन नं0 फोटो की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
3. भिक्षुकों का सर्वेक्षण/पहचान, संग्रहण, सुरक्षा एवं पुनर्वास गृहों के संचालन अथवा संबंधित क्षेत्र में किये गये कार्यों का न्यूनतम 02 वर्ष तक का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ स्वामित्व/लीजपर/किराये पर पुनर्वास केन्द्र के संचालन एवं आधारभूत ढाँचा तथा संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित पूर्ण व्यौरा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्था का नाम किसी काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधि शपथ पत्र का मूलप्रति तथा उक्त संस्था को दैनिक समाचार पत्रों में जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया हो से संबंधित दस्तावेज को संलग्न करना होगा। ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया गया हो या जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(ख) संस्था का चयन हेतु पात्रता–Strenghth of the Project (40% Weightage)

1. संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्था द्वारा निगम के किस क्षेत्र में अथवा पुरे नगर निगम क्षेत्र में कार्य किया जायेगा अथवा नहीं के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिमाह पुनर्वास किया जायेगा से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) संस्था का चयन हेतु अन्य आवश्यक शर्ते :–

1. उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860, ट्रस्ट अधिनियम–1882, कम्पनीज अधिनियम–1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम/निगम/निकाय/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसके निबंधन के तीन साल पूर्ण हो गए हो।
2. उन्हीं संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनका विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति हों एवं जिसका अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा जिनके लिखित संविधान/वाईलाज हो। परियोजना प्रस्ताव के साथ उक्त संविधान/वाईलाज को संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. परियोजना प्रस्ताव का बजट परियोजना के आवश्यकता आधारित होनी चाहिए अनावश्यक रूप से अत्यधिक बजट वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. किसी परियोजना संचालन के लिए संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। संस्था का वार्षिक आय–व्यय पच्चास लाख रूपये से अधिक होना चाहिए।
5. संस्था को राशि उपलब्ध कराने के पूर्व, पूर्व में किसी भी विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान राशि की अंकेक्षण प्रमाण–पत्र GFR-19A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा। यदि जाँच में संस्था का कार्यकलाप सही नहीं पाया जाता है तो संस्था का चयन तत्काल रद्द करते हुए योजना का संचालन हेतु अन्य प्रतिष्ठित एवं सुयोग्य संस्था का चयन करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. प्राप्त प्रस्तावों पर अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास की अध्यक्षता में गठित समिति, विचार करते समय स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकलापों से संतुष्ट हो लेगी तथा समीक्षोपरान्त योजना संचालन हेतु संस्था का चयन करेंगी तथा इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. अनुदान की अनुशंसा संस्था को सुदृढ़ करने तथा किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा, न कि संस्था का आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए।
8. संस्थाओं को लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने और निर्धारित निदेशों की पूर्ति में सहायता करके योजना की सफलता में साकारात्मक योगदान करना होगा। जिस कार्य के लिए राशि स्वीकृत की जायेगी उसका उपयोग उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में राशि की बिचलन (Diversion) नहीं किया जायेगा।
9. गैर सरकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदानित राशि के लिए अलग चालू खाता (Current A/C No.) रखना होगा तथा इसकी सूचना संबंधित नगर निगम के पदाधिकारी को देनी होगी (यथा–बैंक का नाम एवं स्थान, चालू खाता संख्या (Current A/C No.) संचालन कर्ताओं का नाम एवं हस्ताक्षर आदि) उक्त बैंक खाते सरकारी अधिकारी या एजेन्सी के द्वारा कभी भी जाँच हेतु मांग की जा सकती है।
10. संस्था को प्रत्येक 06 माह में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि संबंधी ब्यौरा संबंधित नगर निगम कार्यालय में देना होगा।
11. इच्छा की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताए रद्द करने/एक से अधिक गैर सरकारी संस्था का चयन करने का अधिकार चयन समिति को सुरक्षित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(घ) निरीक्षण एवं मूल्यांकन :–

1. निगम स्तर पर गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित नगर निगम के पदाधिकारी उत्तरदायी होगें। गैर सरकारी संस्था संबंधित नगर निगम के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
2. संबंधित क्षेत्र की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा प्रत्येक महीना कम से कम एक बार सरकार द्वारा अनुमानित संस्था का स्थल जाँच कर उसके कार्यकलाप से संबंधित जाँच प्रतिवेदन नगर निगम को समर्पित करेंगे।
3. योजना का संचालन किये जा रहे स्वयंसेवी संस्थाओं के क्रियाकलापों की जाँच समय–समय पर जिला/राज्य एवं केन्द्र स्तर पर गठित जाँच समय–समय पर जिला/राज्य एवं केन्द्र स्तर पर गठित जाँच/निरीक्षरण दल के पदाधिकारियों के द्वारा की जायेगी तथा उक्त जाँच/निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक संस्थाओं के कार्यकलापों में सुधार हेतु संबंधित संस्था को आवश्यक मार्ग निर्देश दी जायेगी।
4. नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा किसी भी समय संस्था का औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
5. योजना के विस्तृत जानकारी एवं मार्ग निर्देशिका–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक– EIS-11016/5/2024-EIS Part(2)(e-96782) Dated-15-09-2025 संलग्न है।

Smile (Support for Marginalized Individuals for livelihood and Enterprises) योजना (Beggary) योजना अन्तर्गत पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु बजट

कुल–50 (50 Bedded Capacity) का पुनर्वास केन्द्र

SL. NO.	Cost head	Cost Unit	Cost Norms	Total Annual Cost (Rs.)
1	Survey/identification, Transport Allowance for Survey, Uploading the Survey details on SMILE-B web Portal	Lump Sum of Rs 1,00,000/- per city	Per City for conductiong survey and Identification	1,00,000.00
2	Rescue Transport	Rs. 200/- per mobilised participants under Programme	Rs. 200X 200 persons	40,000.00
3	issuance of Aadhar Card or/and any other Benefits Card	Rs. 150/- per Programme/participants	Rs. 150X200 persons	30,000.00
4	One-time clothing & hygiene kits (2set)	Rs. 1,200/- per programme participants	Rs. 1,200X200 Persons	2,40,000.00
5	Food Includes Breakfast, Lunch, Dinner, Two Times Tea	Rs. 150/- per Programme/participants	Rs. 150X50X30X12	27,00,000.00
6	Project Manager for each City	Monthly Remuneration of Rs 20,000.00	Rs. 20000X12	24,0,000.00

Scanned with OKEN Scanner

7	Counsellor	Fee/Remuneration of Rs. 1000/- per visit (Approx. 15 visits per month)	Rs. 1000X15X12	1,80,000.00
8	Bridge Counse Coordinator	Monthly Remuneration of Rs. 15000.00	Rs. 15000X12	1,80,000.00
9	Aaya Didi/Care taker	Monthly Remuneration of Rs. 15,000.00	Rs. 15000X12	1,80,000.00
10	Cook at each shelter	Monthly Remuneration of Rs. 8,000.00	Rs. 8000X2X12	1,92,000.00
11	Security Guard (3shifts) at Shelter Home	Monthly Remuneration of Rs. 15,000.00	Rs. 8000X3X12	2,88,000.00
12	Contigency (1st Aid Kit, Emergency Hospital Visit etc) for Each Shelter Home	Lump Sum Amount per Year	Rs. 120000.00 per Year	1,20,000.00
13	Skilling/Training and handholding	Rs. 400/- perr programme participants with target of covering 200 participants per year	Rs. 400X200 persons	80,000.00
14	IEC/Media for awareness crcation and publicity of the scheme	Lump Sum Amount per Year	Rs. 200000.00 per Year	2,00,000.00
15	Administrative expenses per shelter home	Lump Sum Amount per Year	Rs. 100000.00 per Year	1,00,000.00
Total – 48,70,000.00 (Forty Eight Lakh Seventy thousand Only)				**48,70,000.00**

प्रशासक-सह–
अपर नगर आयुक्त,
चास नगर निगम, चास।

Scanned with OKEN Scanner